



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8042

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 233 सन् 2026

अजीत सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	कैलाश प्रकाश पांडे
-------------------------	---	--------------------

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.
--------------------------	---	-----------

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पांडे और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनकी नियुक्ति 10.01.2011 को कांस्टेबल के पद पर और वर्ष 2023 में हेड कांस्टेबल के पद पर हुई थी। हालांकि, जब याचिकाकर्ता कानपुर नगर में तैनात थे, तब उत्तर प्रदेश के डीआईजी (कर्मिक), लखनऊ द्वारा 25.07.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता का तबादला कानपुर नगर से एलआईयू लखनऊ में कर दिया गया, लेकिन कार्यभारमुक्ति का आदेश 27.12.2025 को पारित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता का तबादला/कार्यमुक्ति नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से तब, जब 06.05.2025 के सरकारी आदेश के अनुसार, कार्यभारमुक्ति एक सप्ताह के भीतर की जानी थी। उन्होंने आगे कहा कि 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनमें विशेष अपील संख्या 481/2024 भी शामिल है, जिसका निर्णय 14.05.2024 को किया गया था।

3. इस याचिका में स्थानांतरण और कार्यभारमुक्ति आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उक्त स्थिति का खंडन नहीं कर सके; उनके अनुसार, सरकारी आदेश और परिपत्र प्रत्यर्थीगण पर बाध्यकारी हैं। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण की तिथि से कार्यभारमुक्ति तक पद पर बनाए रखने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। उनका निवेदन है कि आदेश को अपास्त किया जाए।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
6. स्पष्टतः, स्थानांतरण आदेश 25.07.2025 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को 27.12.2025 के कार्यभारमुक्ति आदेश के तहत कार्यभारमुक्त किया गया था। चूंकि प्रत्यर्थीगण के परिपत्रों में यह उल्लेख है कि कार्यभारमुक्ति 7 दिनों के भीतर की जानी है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस संबंध में अवकाश के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह मुद्दा अब नया नहीं है क्योंकि इस पर विशेष अनुमति याचिका संख्या 481/2024 में 14.05.2024 को निर्णय लिया जा चुका है।
7. तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।
8. दिनांक 25.07.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2, डीआईजी कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश और उसके फलस्वरूप दिनांक 27.12.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश को याचिकाकर्ता से संबंधित सीमा तक रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।